

कार्यालय कलेक्टर (खाद्य) जिला-झाबुआ

क्रमांक/खाद्य/2023/1228

झाबुआ, दिनांक 8-9-2023

प्रति,

आयुक्त,  
जनसम्पर्क, जनसम्पर्क भवन  
बाणगंगा, भोपाल (म.प्र.)

विषय :- विज्ञापित प्रकाशित करने बाबत।


संदर्भ:- प्रमुख सचिव म.प्र.शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्र क्रमांक एफ-7-1./2014/29-1 भोपाल दिनांक 9.4.2021

-0-

विषयान्तर्गत जिले की उचित मूल्य दुकान विहीन ग्राम पंचायतों में दुकान खोलने हेतु पात्र संख्याओं से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाने हेतु प्रेस विज्ञापित प्रकाशित की जाना है। प्रेस विज्ञापित प्रारूप प्रकाशन हेतु पत्र के संलग्न प्रेषित है।

कृपया विज्ञापित मध्यप्रदेश के 01 स्थानीय सर्वाधिक सर्कुलेशन वाले लोकप्रिय समाचार पत्र के झाबुआ संस्करण में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।

संलग्न:- विज्ञापित का प्रारूप


  
8/9/23  
जिला आपूर्ति अधिकारी  
जिला झाबुआ

पृ. क्रमांक/1229/खाद्य/2023

झाबुआ दिनांक 8-9-2023

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मध्यप्रदेश भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के पालन में सूचनाएं।
2. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
8/9/23  
जिला आपूर्ति अधिकारी  
जिला झाबुआ

// कार्यालय कलेक्टर (खाद्य) जिला झाबुआ (म0प्र0) //

क्रमांक/खाद्य/2023/ 1236

झाबुआ, दिनांक 8-09-2023

--: प्रेस-विज्ञापित :-


ग्रामीण क्षेत्रों में शा.उ.मू.दुकान विहीन ग्राम पंचायतों में नवीन दुकान स्थापित किये जाने के संबंध में प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों की शासकीय उचित मूल्य दुकान विहीन ग्राम पंचायतों में उचित मूल्य दुकान खोलने एवं लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सफल क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा नवीन निर्देश जारी किये गये जिन्हे विभाग की वेबसाईट [www.food.mp.gov.in](http://www.food.mp.gov.in) से एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। जिसकी सूची विभागीय वेबसाईट [www.food.mp.gov.in](http://www.food.mp.gov.in) पर उपलब्ध है।

उचित मूल्य दुकान आवंटन हेतु निम्नानंकित संस्थाएँ/समूह/समिति पात्र है :-

1. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 10 की उपधारा (1) के अन्तर्गत वर्गीकृत (1) उपभोक्ता सोसायटी (2) विपणन सोसायटी (3) उत्पादक सोसायटी (4) संसाधन सोसायटी (5) बहुप्रयोजन सोसायटी
2. महिला स्व सहायता समूह।
3. संयुक्त वन प्रबन्धन समिति

उक्त पात्र संस्थाओं/समूह/समिति के आनलाईन आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईट [www.food.mp.gov.in](http://www.food.mp.gov.in) पर दी गई लिंक के माध्यम से निर्धारित समय दिनांक 25.9.2023 सायं 5.00 बजे तक आहुत किये जावेगे। विस्तृत जानकारी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) में संपर्क किया जा सकता है।

संलग्न :- सूची।


  
31/9/23  
जिला आपूर्ति अधिकारी  
जिला-झाबुआ

पृ. क्रमांक/खाद्य/2023/ 1231

झाबुआ, दिनांक 8-09-2023


प्रतिलिपि :-

1. उपसंचालक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग जिला-झाबुआ की ओर कृपया स्थानीय एवं बहुप्रसारित समाचार पत्रों में प्रसारित कराने का कष्ट करे।

  
31/9/23  
जिला आपूर्ति अधिकारी  
जिला-झाबुआ

नवीन/समर्पित उचित मूल्य दुकान जहाँ आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुए की जानकारी:-

विकासखण्ड	क्र०	नवीन ग्राम पंचायत जहाँ उचित मूल्य दुकान जिसके आवेदन पत्र नहीं प्राप्त हुए है।	विकासखण्ड	क्र०	समर्पित ग्राम पंचायत जहाँ उचित मूल्य दुकान जिसके आवेदन पत्र नहीं प्राप्त हुए है।
झाबुआ	1	शहरी 10,11 बसंत कॉलोनी	झाबुआ	1	परवट
रामा	1	दुधी उमरकोट	पेटलावद	2	डूमपाड़ा
	2	झकेला		1	रामगढ़
	3	खरडूबड़ी		1	चारेल
थांदला	1	परवाड़ा	मेघनगर	2	आमल्यामाल
	2	बालवासा	थांदला	1	देवका
	3	काकनवानी			
	4	मादल्दा			
	5	रन्नी			
	6	सेमलिया			
	7	पाडाघामन्जर			
कुल योग:-	11			06	11+6 = 17

  
 8/9/23  
 जिला आपूर्ति अधिकारी  
 जिला- झाबुआ